पत्र संख्या–आई0टी0–क्षेत्राधिकार / 2020–21 / 728 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 23 नवम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

GST व्यवस्था में पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के समय व्यापारी द्वारा अपने व्यापार स्थल का पता तथा Pincode अंकित किया जाता है। GSTN द्वारा निर्धारित नई व्यवस्था में Pincode के आधार पर आवेदन, राज्य अथवा केन्द्र के जिस पंजीयन प्राधिकारी के लॉगिन पर निर्धारण हेतु उपलब्ध होगा, निर्धारित किया जाता है।

अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक खण्ड कार्यालय की Pincode के साथ सही–सही मैपिंग की जाये। इस क्रम में आई0टी0 अनुभाग के पत्र संख्या 825 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा खण्ड कार्यालय तथा उनसे सम्बन्धित Pincode को मैप कराते हुये सूचना आई0टी0 अनुभाग को उपलब्ध कराई गयी थी, जिससे GSTN को रजिस्ट्रेशन मॉडयूल में सम्मिलित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया था।

GSTN द्वारा पंजीयन हेतु Pincode आधारित व्यवस्था के आरम्भ होने के उपरान्त कतिपय व्यापारियों द्वारा यह समस्या बतायी जा रही है कि व्यापार स्थल का Pincode अंकित करने पर जो खण्ड कार्यालय मॉडयूल में चयनित होकर आ रहा है वह उनके व्यापार स्थल की लोकेशन से भिन्न हैं। अतः उनके द्वारा पंजीयन आवेदन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः जोनल कार्यालयों द्वारा पूर्व में प्रेषित Pincode तथा खण्ड कार्यालयों का मैपिंग document का excel sheet जोनल एडीशनल कमिश्नर के email पर प्रेषित किया जा रहा है जिससे आप अपने जोन से सम्बन्धित खण्डों के Pincode का परीक्षण कर प्रत्येक खण्ड कार्यालयों के सम्मुख उसका सही Pincode अंकित करते हुये excel file दिनांक 27.11.2020 तक ctithqlu-up@nic.in पर mail करना सुनिश्चित करें, जिससे शीघ्रातिशीघ्र GSTN मॉडयूल की समस्या का समाधान कराया जा सके।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।